





अज अदालत सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी, शिव

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
भवानीसिंह पुत्र खुमाणसिंह जाति राजपुत, निवासी विरधसिंह की ढाणी तहसील शिव, जिला बाड़मेर वगैरा (02)		आलम पुत्र मखण जाति मुसलमान, निवासी तालों का पार तहसील शिव, जिला बाड़मेर वगैरा (11)

किस्म मुकदमा राजस्व वाद (धारा 53, 188)

मुकदमा नम्बर 15 / 2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08.02.2023	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलाण्ट के वकील श्री नरेन्द्रसिंह सियाग ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेन्ट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब आईन्दा दिनांक 3.4.23 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  सहायक कलक्टर (SDO) शिव </p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p> <p style="text-align: right;">  रजिस्टर्ड 5199 925-935 20.02.2023 </p>
5.4.23	<p>पूर्व निर्धारित तिथि को राजकीय अखफाश होने से पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी/वादी अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादीगण के नोटिस व डिलेवरी रिपोर्ट पेश की, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते प्रतिवादीगण का इत्जारा होकर दिनांक 10.5.23 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  सहायक कलक्टर (SDO) शिव </p>	
10.05.23	<p>पत्रावली पेश हुई। श्रीमान पीताराम अधिकारी के दीगर कार्यों में व्यस्त होने के कारण इत्यादि होकर पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा दिनांक 26.07.23 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  </p>	



तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

अदालत
हुक्म को
में जारी हुए

5/3/2025

~~पत्रावली फाइल फेश हुई, बाकी बाकी
उपरोक्त पत्रावली वाली साक्ष्यवादी दिनांक
26/3/2025 को फेश हो,~~

~~पत्रावली फेश हुई। श्रीमान पीठासीन अधिकारी
के दीगर कार्यों में व्यस्त होने के कारण इत्तवा
होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा
दिनांक.....को फेश हो।~~

26.3.25

पत्रावली फेश हुई। श्रीमान पीठासीन अधिकारी
के दीगर कार्यों में व्यस्त होने के कारण इत्तवा
होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा
दिनांक 26.3.25 को फेश हो।

9.4.25

पत्रावली फेश हुई। श्रीमान पीठासीन अधिकारी
के दीगर कार्यों में व्यस्त होने के कारण इत्तवा
होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा
दिनांक 15.4.25 को फेश हो।

15.5.25

पत्रावली फेश हुई।
गदी/प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित।
पत्रावली में आज कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं होने के
कारण इत्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार
दिनांक 26.5.25 को फेश हो।

26.5.25

पत्रावली फेश। बाकी अधिवक्ता अनुपस्थित।
बाकी व बाकी के अधिवक्ता ने पृष्ठ-पृष्ठ
तीन बार आवज दिलाई गई। बावजूद सूचना
अनुपस्थित रहने पर उक्त वाद अदम खजरी व
अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।
पत्रावली ईसल सुमार होकर अब
मम्बर से उम होकर बाकी व अदम

सहायक कलेक्टर
(SDO) शिव